

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (1)

PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 309] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 29, 1977/अश्विन 7, 1899

No. 309] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 29, 1977/ASVINA 7, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September 1977

G.S.R. 624(E).—The following draft of certain rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), in the circumstances which in the opinion of the Central Government render it necessary to make rules without consultation with the Central Committee for Food Standards, is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after 10 days of the publication of the notification in the Gazette of India. Any objections or suggestions received from any person with respect to the said draft rules before the date so specified shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

In exercise of the powers conferred by section 23 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, namely,—

1 These rules may be called the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1977

2 In the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, in rule 44, after the existing provisos, the following proviso shall be inserted, namely.—

"Provided also that clause (e) shall remain inoperative in respect of the mixture of groundnut oil with palmolein to be packed and sold by the Ministry of Civil Supplies, Government of India, or their authorised agents, for a period of three months from the date of commencement of the Prevention of Food Adulteration (Amendment) Rules, 1977."

[No. P.15016/3/77-PH(F&N)]

N N. VOHRA, Jt Secy

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 1977

सा० का० नि० 624(अ).—केन्द्रीय सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन परिस्थितियों में बनाना चाहती है जिनमें वह केन्द्रीय खाद्य मानक समिति से परामर्श किए बिना इन नियमों का बनाना आवश्यक समझती है। जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में अपेक्षित है, उक्त प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन के दस दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा। इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

केन्द्रीय सरकार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन), नियम, 1977 है।
2. खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के नियम 44 में विद्यमान परन्तुको के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि खण्ड (ङ) नागरिक पूर्ति मंत्रालय, भारत सरकार, अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्तियों द्वारा पैक किए और बेचे जाने वाले उस मिश्रण की बाबत, जो पालमोलीन तेल को मूंगफली के तेल से मिलाकर बनता है, खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1977 के प्रारम्भ की तारीख से तीन मास की अवधि तक के लिए, अप्रवर्तनीय बना रहेगा।"

[सं० पी० 15016, 3, 77-पी०एच० (एफ० एण्ड एन०)]

एन० एन० वोहरा, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977